उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग-13
संख्या- 08/2018/355 /एक-13-2018-5क(25)/2018टी.सी.
लखनऊ: दिनांक 02 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए भूमि अर्जन/ अधिग्रहण के मामले में सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु नामित एजेंसी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-253/एक-13-2018-5क(25)/2018टी0सी0 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 द्वारा बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

2- उक्त बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह में नामित सदस्य प्रोफेसर एस0पी0 सिंह, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई0आई0टी0 रुड़की (मोबाइल नंबर 9887714004, ई-मेल आई0डी0- singhfhs@gmail.com) को समूह का अध्यक्ष नामित किया जाता है।

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-08/2018/355(1)/एक-13-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्व नगर।

3 निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4 रजिस्ट्रार, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्व नगर ।

5 मंडलायुक्त, मेरठ/जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

6 डॉ0 के. एस. राव, एसोसिएट प्रोफेसर, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

7 डॉ0 प्रशांत कुमार त्रिवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

8 प्रोफेसर एस. पी. सिंह, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी. रुड़की।

9 प्रोफेसर जेड. रहमान, हेड, मैनेजमेंट स्टडीज विभाग, आई.आई.टी. रुड़की ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10 श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, इंडो नेपाल बॉर्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

11 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री भगवान सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम रोही परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्ध नगर।

12 श्री तेजवीर पुत्र श्री राजपाल, ग्राम प्रधान किशोरपुर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्ध नगर।

13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

किंजल सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।